भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 215
दिनांक 29 जनवरी, 2026

तमिलनाडु में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन

†215. **श्री मलैयारासन डी.:**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) तमिलनाडु में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत चालू और कार्यात्मक एलपीजी कनेक्शनों की जिला-वार संख्या कितनी है;
(ख) विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में समय पर और किफायती रिफिल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) लाभार्थियों के बीच सुरक्षित उपयोग, लाभ और सब्सिडी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या पहल की गई है;
(घ) क्या पीएमयूवाई कनेक्शन के उपयोग की निगरानी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पीएमयूवाई को अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में शुरू की गई थी, जिसका प्रयोजन देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानत मुक्त एलपीजी कनेक्शन देना था। दिनांक 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में 41.5 लाख कनेक्शन सहित देश भर में लगभग 10.43 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

तमिलनाडु राज्य में पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या का जिलावार विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख) और (ग): एलपीजी रिफिल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित एलपीजी उपभोक्ता इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस), शॉर्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस), व्हाट्सएप, वितरक के फोन पर सीधे कॉल करके, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ओएमसी मोबाइल

एप्लिकेशन, ओएमसी वेब-पोर्टल आदि सहित विभिन्न तरीकों से रिफिल बुक कर सकते हैं। ये विभिन्न विकल्प एलपीजी रिफिल की सहज और परेशानी मुक्त बुकिंग के लिए उन्नत उपयोगकर्ता पहुंच प्रदान करते हैं।

दिनांक 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 25,596 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप काम कर रही हैं, जिनमें से 17,668 डिस्ट्रीब्यूटरशिप ग्रामीण इलाकों में सेवाएं दे रही हैं। इन्हें देश भर में मौजूद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के 214 एलपीजी भरण संयंत्र के माध्यम से सेवाएं दी जाती है। ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में एलपीजी की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, ओएमसी ने दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.12.2025 तक के दौरान देश भर में 8027 डिस्ट्रीब्यूटरशिप कमीशन की गई हैं, जिनमें से 7434 (अर्थात् 93%) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं।

इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने, इसके उपयोग को बढ़ावा देने और पीएमयूवाई के लाभार्थियों में कम रिफिल खपत की समस्या को दूर करने के लिए अन्य बातो के साथ-साथ पीएमयूवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाना, कनेक्शन देने और बांटने के लिए मेले/शिविर लगाना, आउट ऑफ होम (ओओएच) होर्डिंग्स, रेडियो जिंगल्स, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) वैन आदि के माध्यम से प्रोत्साहन, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से दूसरे पारंपरिक ईंधन के मुकाबले एलपीजी उपयोग करने के लाभों और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना, विकसित भारत संकल्प यात्रा के अन्तर्गत नामांकन/जागरूकता शिविर लगाना, पीएमयूवाई कनेक्शन लेने के लिए आधार नामांकन और बैंक खाता खोलने में उपभोक्ताओं और उनके परिवारों की मदद करना शामिल है। सरकार ने पीएमयूवाई के लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, यथा,- नगदी खर्च कम करने के लिए 14.2 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के सिलेंडर में परिवर्तन करने का विकल्प, 5 किलोग्राम डबल बॉटल कनेक्शन का विकल्प, लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के निरंतर उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन, बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि कई कदम उठाए गए हैं।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और ज़्यादा किफायती बनाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी का लगातार उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के 9 रिफिल तक (और 5 किलोग्राम कनेक्शन के लिए यथाआनुपातिक) प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300/- रुपये की लक्षित राजसहायता दे रही है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए घरेलू एलपीजी की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की संख्या के संदर्भ में (वित्त वर्ष 2021-22) 3.68 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर, 2025 के दौरान खपत के आधार पर आनुपातिक) में 4.83 हो गई है।

(घ) सरकार उपयोग पैटर्न की निगरानी करने और पीएमयूवाई कनेक्शनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार उपाय कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के संबंध

में एलपीजी वितरण और राजसहायता अंतरण कुशल, पारदर्शी और समावेशी हों। पहल (डीबीटीएल) योजना, आधार-आधारित सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और अपात्र या डुप्लिकेट कनेक्शनों को हटाने जैसी पहलों के कार्यान्वयन ने लक्षित राजसहायता की अंतरण प्रणाली को काफी मजबूत किया है।

पहल ने 'घोस्ट' खातों, कई खातों और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राजसहायता वाली एलपीजी के वाणिज्यिक उपयोग के लिए विपथन रोकने में मदद मिली है। दिनांक 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार, 4.05 करोड़ डुप्लिकेट, नकली/अस्तित्वहीन और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक/निलंबित/निष्क्रिय कर दिए गए हैं।

सरकार ने अपात्र उपभोक्ताओं को हटाने और राजसहायता अंतरण प्रक्रिया में सुधार के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं:-

सीएलडीपी के माध्यम से डी-डुप्लिकेशन-

सरकार एक कॉमन एलपीजी डेटाबेस प्लेटफॉर्म (सीएलडीपी) लाई है जिसके माध्यम से डुप्लिकेट कनेक्शनों की पहचान की जाती है और उन्हें एलपीजी डेटाबेस से हटा दिया जाता है। एलपीजी कंज्यूमर डेटाबेस में डुप्लीकेशन हटाने का काम आधार नंबर, बैंक खाता विवरण, एब्रिज्ड हाउसहोल्ड लिस्ट (एएचएल) टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर (टीआईएन), राशन कार्ड डिटेल्स, नाम और पते जैसे मुख्य मानदंडों का उपयोग करके किया जाता है।

बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन ड्राइव-

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना के लिए आधार-आधारित ऑथेंटिकेशन लाभार्थियों की सटीक, रियल-टाइम और लागत प्रभावी पहचान, प्रमाणीकरण और डुप्लीकेशन हटाने में मदद करता है, जिससे सही लोगों की स्थिति के अनुसार लाभ पहुंचाना सुनिश्चित होता है। उपभोक्ता अधिप्रमाणन को मजबूत करने के लिए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और पहल लाभार्थियों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करने और पूरा करने का निर्देश दिया था। दिनांक 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार मौजूदा पीएमयूवाई लाभार्थियों में से 73% का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा हो चुका है। इसके अलावा, सभी नए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को कनेक्शन जारी करने से पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से गुजरना पड़ता है।

अयोग्य/निष्क्रिय उपभोक्ताओं को हटाना-

पहल ने योग्य पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को लक्षित राजसहायता का लाभ देने में मदद की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं कि ये लाभ पात्र और लक्षित लाभार्थियों की स्थिति के अनुसार कुशलतापूर्वक और समय पर पहुँचें। इसकी शुरुआत से, किए गए व्यापक डुप्लीकेशन हटाने के प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुल 8.67 लाख पीएमयूवाई कनेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं।

जनवरी 2025 में, उन पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को हटाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया गया था, जिन्होंने अपना कनेक्शन लगने के बाद और दिनांक 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार कोई और रिफिल नहीं लिया था, और एसओपी का पालन करते हुए लगभग 23,000 निष्क्रिय पीएमयूवाई कनेक्शन पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं।

एलपीजी आपूर्ति और वितरण का विनियमन और निगरानी-

एलपीजी के वितरण को विनियमित करने के लिए, सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, ओएमसीज ने एलपीजी वितरकों द्वारा पालन किए जाने वाले "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश किसी भी कदाचार में शामिल एलपीजी वितरकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान करते हैं। एलपीजी के विपणन में एलपीजी वितरकों द्वारा अनियमितताओं के सभी स्थापित मामलों में, विपणन अनुशासन दिशानिर्देश/डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

क्षेत्र निरीक्षण और जांच-

अनुपालन सुनिश्चित करने और कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए, ओएमसी के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा एलपीजी वितरकों का नियमित और औचक निरीक्षण किया जाता है। इसके साथ-साथ, क्षेत्रीय कार्यालयों/जोनल कार्यालयों/मंडल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और मिलावट रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारी /गुणवत्ता आश्वासन सेल और सतर्कता विभाग के अधिकारी वितरकों के गोदाम/शोरूम/वितरण बिंदुओं पर, साथ ही रास्ते में भी यादृच्छिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एलपीजी का कोई दुरुपयोग न हो।

(ङ): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) एक महिला-केंद्रित योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को एलपीजी, एक स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करना है और लकड़ी, कोयला और गोबर जैसे पारंपरिक ईंधनों से होने वाले इनडोर वायु प्रदूषण को कम करके महिलाओं और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेयूजीए) जैसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर काम करती है।

अनुलग्नक-क

'तमिलनाडु में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन' के संबंध में दिनांक 29.01.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 215 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तमिलनाडु में जिला-वार पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या (दिनांक 01.01.2026 तक)

ज़िला	**पीएमयूवाई कनेक्शनों की संख्या**
अरियालूर	73,533
चेंगलपट्टू	1,23,400
चेन्नई	32,741
कोयंबटूर	46,753
कुड्डालोर	2,56,512
धर्मपुरी	1,16,528
डिंडीगुल	1,50,723
इरोड	1,18,916
कल्लाकुरिची	94,735
कांचीपुरम	68,446
कन्नियाकुमारी	90,584
करूर	54,982
कृष्णागिरी	1,22,844
मदुरै	1,61,389
माइलादुत्रयी	68,782
नागपट्टिनम	51,056
नमक्कल	1,28,644
पेरम्बलुर	45,244
पुदुक्कोट्टई	1,74,922
रामनाथपुरम	1,51,628
रानीपेट	1,01,119
सलेम	2,07,677
शिवगंगा	90,469
तेनकासी	87,671
तंजावुर	1,39,722
नीलगिरी	18,532
थेनी	67,813
तिरुवल्लुर	1,20,956
थिरुवरुर	1,16,330
थूथुकुडी	1,03,356
तिरुचिरापल्ली	1,54,083
तिरुनेलवेली	72,859
तिरुपथुर	75,816
तिरुपूर	55,617
तिरुवन्नामलाई	2,17,861
वेल्लोर	1,23,768
विलुप्पुरम	1,43,334
विरुधुनगर	1,20,765

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओएमसीज की ओर से आईओसीएल